पर्यटन मंत्रालय

मांग संख्या 94

पर्यटन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	927.52	68.49	996.01	1039.00	69.41	1108.41	998.34	66.13	1064.47	1095.99	70.76	1166.75
	पूंजी	***6.96***	*...*	*6.96*	*11.00*	*...*	*11.00*	*1.66*	*...*	*1.66*	*4.01*	*...*	*4.01*
	जोड़	**934.48**	**68.49**	**1002.97**	**1050.00**	**69.41**	**1119.41**	**1000.00**	**66.13**	**1066.13**	**1100.00**	**70.76**	**1170.76**
1. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.18	5.18	...	5.60	5.60	...	5.95	5.95	...	6.70	6.70
पर्यटन													
2. महानिदेशक, पर्यटन – निदेशन तथा प्रशासन	3452	9.06	50.00	59.06	13.00	50.15	63.15	7.00	50.15	57.15	18.00	53.96	71.96
	3601	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50	0.50	...	0.50	1.50	...	1.50
	3602	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	*10.06*	*50.00*	*60.06*	*15.00*	*50.15*	*65.15*	*7.50*	*50.15*	*57.65*	*20.00*	*53.96*	*73.96*
3. पर्यटन सूचना और प्रचार													
3.01 घरेलू अभियान	3452	51.67	0.10	51.77	62.50	0.20	62.70	62.50	0.20	62.70	62.50	0.25	62.75
	3601	2.10	...	2.10	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
	3602	0.08	...	0.08	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	*53.85*	*0.10*	*53.95*	*67.50*	*0.20*	*67.70*	*67.50*	*0.20*	*67.70*	*67.50*	*0.25*	*67.75*
3.02 विदेशी अभियान	3452	242.67	...	242.67	275.00	...	275.00	250.00	...	250.00	280.00	...	280.00
जोड़- पर्यटन सूचना और प्रचार		*296.52*	*0.10*	*296.62*	*342.50*	*0.20*	*342.70*	*317.50*	*0.20*	*317.70*	*347.50*	*0.25*	*347.75*
4. पर्यटक अवसंरचना													
4.01 ईएपी – भिन्न घटक	3452	115.17	...	115.17	239.00	...	239.00	241.34	...	241.34	264.99	...	264.99
	3601	391.91	...	391.91	210.00	...	210.00	215.00	...	215.00	220.00	...	220.00
	3602	4.30	...	4.30	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
	5452	...	...	...	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	1.01	...	1.01
	जोड़	*511.38*	*...*	*511.38*	*460.00*	*...*	*460.00*	*466.35*	*...*	*466.35*	*496.00*	*...*	*496.00*
4.02 ईएपी घटक	5452	6.96	...	6.96	10.00	...	10.00	1.65	...	1.65	3.00	...	3.00
जोड़- पर्यटक अवसंरचना		*518.34*	*...*	*518.34*	*470.00*	*...*	*470.00*	*468.00*	*...*	*468.00*	*499.00*	*...*	*499.00*
5. प्रशिक्षण	3452	94.70	10.80	105.50	94.50	10.20	104.70	98.90	6.72	105.62	113.50	5.50	119.00
	3601	11.01	...	11.01	8.00	...	8.00	3.60	...	3.60	4.00	...	4.00
	जोड़	*105.71*	*10.80*	*116.51*	*102.50*	*10.20*	*112.70*	*102.50*	*6.72*	*109.22*	*117.50*	*5.50*	*123.00*

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
6. अन्य व्यय	3452	3.85	0.99	4.84	15.00	2.66	17.66	4.50	2.51	7.01	6.00	3.40	9.40
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/ स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	105.00	...	105.00	100.00	...	100.00	110.00	...	110.00
8. विविध सामान्य सेवाएं-विनिमय द्वारा हानि	2075	...	1.42	1.42	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.95	0.95
जोड़-पर्यटन		**934.48**	**63.31**	**997.79**	**1050.00**	**63.81**	**1113.81**	**1000.00**	**60.18**	**1060.18**	**1100.00**	**64.06**	**1164.06**
कुल जोड़		***934.48***	***68.49***	***1002.97***	***1050.00***	***69.41***	***1119.41***	***1000.00***	***66.13***	***1066.13***	***1100.00***	***70.76***	***1170.76***
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. भारत पर्यटन विकास निगम लि.	13452	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.96	10.96
जोड़		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**10.96**	**10.96**
ग. योजना परिव्यय													
1. पर्यटन	13452	934.48	...	934.48	945.00	...	945.00	900.00	...	900.00	990.00	10.96	1000.96
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	105.00	...	105.00	100.00	...	100.00	110.00	...	110.00
जोड़		**934.48**	**...**	**934.48**	**1050.00**	**...**	**1050.00**	**1000.00**	**...**	**1000.00**	**1100.00**	**10.96**	**1110.96**

1. **सचिवालय – आर्थिक सेवांए:** यह प्रावधान पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय को पूरा करने के लिए है।

2. **निदेशन एव प्रशासन:** यह प्रावधान पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय स्थापना और इसके अधीन क्षेत्रीय और फील्डं कार्यालयों को व्यय पूरा करने के लिए है। उनके मुख्यय कार्यकलाप पर्यटक सूचना और प्रचार-प्रसार करना, पर्यटन अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना, होटलों, यात्रा एजेंटों, गाइडों आदि जैसे यात्रा उद्योग के विभिन्न खंडों का विनियम करना है। यह बेहतर पर्यटक सुविधाएं प्रदान के लिए पर्यटन मंत्रालय और राज्योंर/संघ राज्य् क्षेत्र प्रशासनों के सूचना प्रोद्योगिकी पहलों हेतु प्रावधान को भी सम्मिलत करना है।

3. **पर्यटक सूचना एवं प्रचार:** सवंर्धन एवं मार्केटिंग भारत और विदेश स्थित भारत पर्यटक कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। नियमित संवधर्नात्मक कार्यकलापों के अलावा, प्रचार सामग्री का निर्माण, केन्द्री कृत वियग जेनेरिक अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू मीडिया अभियान अग्रणी प्रिंट, इलेक्ट्रा निक, आऊटडोर एवं विशेष अभियानों द्वारा नियामित रूप से कार्यान्वित किए जाते है। जनसमूह और पर्यटक स्टेकहोलर्ड्स को जागरूक करने के लिए सामाजिक जागरूकता अभीयान चलाए जाते है। मेहमाननवाजी और विपणन विकास सहायता सहित विशेष समुह में भारत को मुकाम तक पहुंचाने के लिए कार्यन्वित की जा रही है। । इस योजना के अंतर्गत स्टेकक्रहोल्डर्स विदेशों में संवधर्नात्मक कार्यकलाप करने के लिए सहायता प्राप्तस करने के पात्र हैं।

http://indiabudget.nic.in

4. **पर्यटक अवसंचना:** यह प्रावधान बजट आवास, मार्गस्थ सुविधाओं, पर्यटक स्वागत केन्द्रों के निर्माण और स्मा्रकों के नवीकरण, विशेष पर्यटन परियोजनाओं, साहसिक एवं क्रीड़ा सुविधाओं, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी, स्मारकों के प्रदीप्ति,करण, ठोस मल प्रबंधन और सीवरेज प्रबंधन, परिवेश में सुधार, संकेतकों, पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं आदि से सीधे संबंधित उपकरणों की प्राप्ति हेतु, अवसंरचना सुविधाओं के सृजन पर व्यय से संबंधित है। यह प्रावधान भारी राजस्व् सृजक परियोजनाओं, पर्यटक ट्रेनों, क्रूज जहाजों, क्रूज टर्मिनलों, समागम केन्द्रों, गोल्फ कोर्सों आदि की फीस लगाने अथवा यूजन चार्जेज के माध्य म से सृजित राजस्व और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से देश में होटल आवास प्रदान करने के लिए और होटलों का निर्माण करके होटलों हेतु भूमि बैंक का सृजन करने से भी संबंधित है। इस प्रावधान में बाह्य सहायता प्राप्तम परियोजनाएं (यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजनाओं सहित), पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु और गुलमर्ग से भारतीय स्कीमइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान के भवन के निर्माण हेतु केन्द्री य एजेंसियों को सहायता भी शामिल है। इसमें 27.50 करोड़ रु0 शामिल हैं जो वित्तीकय वर्ष 2011-12 के लिए 'गंतव्यी/परिपथों' के लिए अवसंरचना विकास योजना स्की म के अंतर्गत ट्राइवल उप-योजना के संबंध में कुल योजना बजट का 2.5% है।

5. **प्रशिक्षण:** देश में पर्यटन के विकास के लिए प्रशिक्षित जनशक्तिा एक आवश्य क विशेषता है। वर्तमान में 41 होटल प्रबंध संस्थावन (आईएचएमएस), (निजी क्षेत्र से 12 सहित) और 5 भोजन कला संस्थान (एमसीआईज) हैं, जो राष्ट्री य

होटल प्रबंध एवं कैटरिंग टैक्नोसलोजी परिषद (एनसीएचएमसीटी) के पाठ्यक्रमों को अनुपालन कर रहे हैं 1 इनके अतिरिक्त , भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) और राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थाएन (एनआईडब्यू प एस) अन्य निकाय हैं, जो पर्यटन में जनशक्ति विकास में शामिल हैं। इसके अलावा, पर्यटक रुचि के स्थलों, एयरपोर्टों आदि पर तैनात गाइडों, सरकारी कर्मचारियों आदि सहित, मौजूदा के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं के लिए विभिन्न् अवधियों के नियमित पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। भोजन एवं पेय सेवाएं और भोजन उत्पादन में 6 सप्ताह/8 सप्ताह के कार्यक्रमों के माध्यकम से देश में युवा व्यक्तियों में रोजगार योग्यय कौशलों के सृजन हेतु पर्यटन मंत्रालय ने विशेष पहल की हैं। अन्य विशेष प्रयास टैक्सी और ऑटो रिक्शां चालकों के प्रशिक्षण से संबंधित हैं। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय का पेंशन केलिए कार्पस के निर्माण हेतु कुछ केन्द्री य होटल प्रबंध संस्था।नों को निधि प्रदान करने की आवश्य्कता है।

6. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान होटलों के निर्माण, मार्केट अनुसंधान और भारत सरकार के साथ पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित, विनिवेशित भारत पर्यटन विकास निगम होटलों से संबंधित पोस्ट क्लोजिंग एडजस्टिमेंटस के भुगतान हेतु प्रावधान के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय निकायों के अंशदान हेतु वित्तीएय संस्थानों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋणों पर पूंजीगत स्कीम के साथ-साथ ब्या्ज स्कीम की नई योजनाओं की सर्विस के भुगतान हेतु है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान:** पूर्वोत्तर में विविध पर्यटन उत्पाकदों की उपलब्धतता, क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु व्यापक स्कोप की पेशकश करती है। पर्यटन मंत्रालय के योजना आवंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तवर क्षेत्र एवं सिक्किम में पर्यटन के विकास हेतु चिन्हित किया गया है।

8. **विविध सामान्य सेवा:** यह विदेश स्थिन पर्यटक कार्यालयों को निधियां भेजते समय, उठाई गई मुद्रा की हानि हेतु प्रावधान का प्रतिनिधित्वि करती है।

http://indiabudget.nic.in